## कार्यालय सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर

## सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना

### सिकरौल लॉक न-08 के समीप दॉये तरफ लगने वाले सब्जी बाजार के बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालिन आम सूचना वर्ष 2026-2027

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल के लॉक नं०-08 के समीप दाँये तरफ लगने वाले सब्जी बाजार जो सप्ताह में मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार तीन दिन लगता है। जिसकी निलामी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, सिकरौल वो कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक-02-04-2026 को 12:30 बजे अपराहन में होगा। डाक निलामी हेतु प्रथम निलामी तिथि को डाक नहीं होने के स्थिति में अगली क्रमशः तिथि को डाक किया जाएगा। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बन्दोबस्ती/डाक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

| क्रमांक | निलामी का नाम | प्रस्तावित डॉक की तिथि | जमानत/अग्रधन की राशि (रू० में) | डॉक बोलने की न्यूनतम राशि (रू० में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सिकरौल लॉक नं०-08 पर लगने वाले सब्जी बाजार की निलामी | 02-04-2026<br>06-04-2026<br>08-04-2026 | 21,500.00 | 216100.00 | बन्दोबस्ती वाली भूमि का विवरण<br>ठोरा नदी से पहले<br>खेसरा सं0-405<br>रकबा-11000 फिट<br>(25 डिसमील) |

**निलामी की शर्ते**

1. डॉक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जमानत की राशि 21500.00 (इक्कीस हजार पॉच सौ) रूपये मात्र जामा करना होगा जिसे निलामी के पश्चात असफल डॉक वक्ताओं को वापस कर दिया जायेगा।
2. समुचित डॉक बोली नहीं होने पर निलामी अथवा तिथि को रद्द करने का या बदलने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
3. अधिकतम डॉक बोलने पाले व्यक्ति को बोली समाप्त होने पर डॉक की पूरी रकम एक मुश्त जामा कर कचा रसीद ले लेना होगा
4. डॉक की पुरी रकम जामा नहीं करने पर द्वितीय डॉक बोलने वाले के साथ सब्जी बाजार बन्दोवस्त कर दी जायेगी एवं उनकी जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बन्दोबस्त की गई निर्धारित भूमि पर ही बाजार लगाना होगा।
6. बाजार के कारण यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।

कृ०पृ०उ०

Scanned with OKEN Scanner

7. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पर बन्दोबस्ती रद्द कर दी जाएगी।
8. सब्जी बाजार निलामी वर्ष 2026-2027 तक के लिए ही बन्दोबस्ती की जायेगी। यह बन्दोबस्ती 31.03.2027 तक ही मान्य होगा।

Umesh
23.03.26

**अवर प्रमंडल पदाधिकारी**
**सोन नहर अवर प्रमंडल**
**सिकरौल**

बक्सर, दिनांक 23.03.2026

पत्रांक 80 /

प्रतिलिपि- सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को बन्दोबस्ती आम सूचना की 01 प्रति एवं सी० डी० सहित हिन्दी के दैनिक समचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ संप्रेषित।

Umesh
23.03.26

**अवर प्रमंडल पदाधिकारी**
**सोन नहर अवर प्रमंडल**
**सिकरौल**

Scanned with OKEN Scanner